तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/19	वकुलान उपस्थित। बहस वकुलान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 12.12.19 को पेश हो। [signature] SDOR	
12/12/19	वकुलान उपस्थित। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा0 मि0 हो। तहसीलदार को अमलदरामद की तहरीर जारी हो। पत्रावली बैसमल शुमार नम्बर से खारिज हो बाद तकमील दाखिल जिला लेख आगार हो सुनाया। [signature] SDOR	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस
राजस्व अपील संख्या 12/5/2019
वउनवान

1. सोहनसिंह पुत्र सहावसिंह जाति राजपूत निवासी तसई तहसील कठूमर
------ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत तसई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तसई पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर
----- असल रेस्पोडेण्ट
2. मु0 सन्तो वेवा इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी तसई
3. ओमी पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी तसई
4. सुरेश पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी तसई
5. विक्रम पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी तसई
6. सरोज पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी तसई तहसील कठूमर जिला अलवर

तर0 रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत तसई
दिनांक 27.06.1996 इन्तकाल संख्या 1866 वाके
ग्राम तसई

उपस्थित :-
श्री देवेन्द्रसिंह नरूका : वकील अपीलाण्ट
श्री पुष्पेन्द्रसिंह – अधिवक्ता तरतीबी रेस्पो0

निर्णय

दिनांक . 12.12.2019

अपीलाण्ट ने यह अपील आज्ञा दिनांक 27.06.1996 ग्राम पंचायत तसई इन्त.काल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में पेश की है। .

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के दादा इन्दरसिंह के फौत होने पर विरासत इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई से प्राप्त कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2356 में अपीलाण्ट का नाम सोनू व खसरा नम्बर 2718, 2981, 2355, 3269, 3274, 3280, 3281, 3282, 3283, 2982, 2358, 2359, 2376, 2377, 2378, 2379, 3265, 3013/3359 वाके ग्राम तसई बी में अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह के स्थान पर सोनू दर्ज रेकार्ड हो रहा है तथा खसरा नम्बर 3333 वाके ग्राम तसई बी में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह के स्थान पर सोहनलाल दर्ज हो रहा है। ग्राम पंचायत तसई की आज्ञा दिनांक 27.06.1996 व इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई को निरस्त कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल से प्रभावित जमीन में सोहनसिंह दर्ज किया जावे। पटवारी हल्का ने इन्तकाल भरते समय व ग्राम पंचायत ने निर्णय करते समय अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह के स्थान पर सोहनपाल दर्ज कर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट का नाम सोहनपाल न होकर सोहनसिंह है। अपीलाण्ट ने अपील के पैरा संख्या 4 में पारिवारिक सजरा अंकित किया है। अपीलाण्ट द्वारा इन्तकाल के साथ प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पास वुक, पैनकार्ड, फोटो पहचान पत्र में सोहनसिंह पुत्र सहावसिंह दर्ज है। वक्त इन्तकाल अपीलाण्ट नाबालिग था जिस कारण रेस्पो0 ने अपीलाण्ट का नाम सोहनसिह के स्थान पर सोहनपाल विधि विरूद् व तरीके से दर्ज करा दिया। जिस कारण इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई व आज्ञा दिनांक 27.06.1996 ग्राम पंचायत तसई मन्सूख किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी दिनांक 22.05.2019 को पटवारी हल्का से अपनी खातेदारी की आराजी पर क्रेडिट कार्ड की फाइल बनवाने गया तव हुई। इससे पूर्व किसी तरह से जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने तहसील कार्यालय से दोषपूर्ण इन्तकाल की सत्यप्रतिलिपी व सही नाम से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज लेकर रेस्पो0 से इन्तकाल में नाम सही करने वावत कहा तो उसने मना कर दिया। अतः कानूनी सलाहकार की सलाह लेकर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। आज्ञा दिनांक 27.06.1996 से दिनांक 27.05.2019 तक की देरी को कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई आज्ञा दिनांक 27.06.1996 ग्राम पंचायत तसई को निरस्त कर इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 1 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 11.07. 2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तरतीवी रेस्पो0 मय अधिवक्ता हाजिर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आये। तरतीवी रेस्पोडेण्ट ने हाजिर अदालत होकर अपना ईकवाल जवाव पेश कर अपीलाण्ट का नाम सोहनपाल न होकर सोहनसिंह होना तथा इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह पुत्र सहावसिंह दर्ज किये जाने में आपत्ति नहीं होना कथन किया है। तरतीवी रेस्पो0 ने राजस्व रेकार्ड में सोहनसिंह दर्ज करने व अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की है। असल रेस्पो0 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई जमाबन्दी हाल की सत्य प्रतिलिपी व आधार कार्ड, मूल निवास प्रमपाण पत्र बैंक पास वुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र व पैन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जो शामिल पत्रावली है। व अपनी अपील के समर्थन में अपीलाण्ट स्वंय सोहनसिंह पी डब्ल्यू 1,गवाह महावीर पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का नाम सोहनपाल न होकर सोहनसिंह है। मृतक दादा इन्दरसिंह का विरासत इन्तकाल भरते समय पटवारी हल्का ने व इन्तकाल फेसल करते समय ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को ना तो सुना ना वुलाया ना अपीलाण्ट के सही वारिसान की जांच की अपीलाण्ट से पहचान के दस्तावेज भी नहीं लिये तथा मनमाने तरीके से अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल में सोहनपाल दर्ज कर दिया जवकि अपीलाण्ट का सही नाम सोहनसिंह है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेज पत्रादि व तरतीवी रेस्पो0 के ईकवाल जवाव व वयान गवाहान के अवलोकन से अपीलाण्ट का नाम सोहनसिंह सावित है। अतः इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई आज्ञा रेस्पो0 दिनांक 27.06.1996 निरस्त कर अपील अपीलाण्ट मय धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर लिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पत्रादि व तरतीवी रेस्पो0 के ईकवाल जवाव तथा गवाह पी डब्ल्यू 1 व गवाह पी डब्ल्यू 2 के वयानों का अवलोकन किया व उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। अपीलाण्ट ने अपना नाम सोहनपाल न होकर सोहनसिंह होना कथन किया है जिसके लिये दस्तावेज प्रस्तुत किये है। ग्राम पंचायत ने इन्तकाल फैसल करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये विना विना वुलाये मनमर्जी तरीके से स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पो0 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने से अपील स्वीकार किये जाने में उसकी मौन स्वीकृति प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इन्तकाल संख्या 1866 वाके ग्राम तसई आज्ञा दिनांक 27.06.1996 ग्राम पंचायत तसई निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो अपीलाण्ट को सुनकर व साक्ष्य सवूत लेकर सही नाम की जांच कर इन्तकाल का विधिनुसार निर्णय पारित करे। आदेश की एक प्रति बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12.12.19

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 12.12.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

12.12.19

Scanned by CamScanner